कार्यालय, जिला पदाधिकारी, पटना।

पत्रांक ..../

प्रेषक :–

डा0 एन0 सरवण कुमार,
जिला पदाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना।
उप विकास आयुक्त, पटना।
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत, पटना।

पटना, दिनांक........................../

विषयः– अधिसूचित नियुक्ति नियमावली 2014 (समय–समय पर यथासंशोधित) के आलोक में जिलावार उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु कैम्प आयोजन का कार्यक्रम के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 556 दिनांक 20.05.14 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि पटना जिला में दिनांक 26.05.14 एवं 28.05.14 को कैम्प का आयोजन कर मेघा क्रम में एवं आरक्षण प्रावधान का पालन करते हुए नियोजन पत्र निर्गत किया जाना है। नगर निकाय अन्तर्गत दिनांक 26.05.14 को उच्च माध्यमिक तथा जिला परिषद अन्तर्गत दिनांक 28.05.14 को उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन कैम्प आयोजित कर किया जाना है।

2. उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार पटना नगर निगम उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए जिला स्तर पर कैम्प का आयोजन दिनांक 26.05.14 को बालक उच्च विद्यालय शास्त्रीनगर पटना में किया जाएगा एवं सभी नगर परिषद/नगर पंचायत उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए दिनांक 26.05.14 को के0 बी0 सहाय उच्च विद्यालय शेरूल्लाहपुर शेखपुरा पटना में होगा। दिनांक 28.05.14 को जिला परिषद पटना अन्तर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए बालक उच्च विद्यालय शास्त्रीनगर पटना में कैम्प आयोजन की सभी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए यह भी सुनिश्चित करायेगें कि सभी नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सचिव एवं सभी सदस्य उपस्थित हों। औपचारिक रूप से सूचित करने के वावजूद यदि मेयर/अध्यक्ष निर्धारित तिथि को कैम्प में उपस्थित नहीं हो तो उन्हें Deemed रूप से उपस्थित मानते हुए नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। यदि सदस्य सचिव निर्धारित तिथि को कैम्प में उपस्थित नहीं होगें तो उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

3. उपर्युक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के लिए आयोजित होने वाले कैम्प की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व मेघा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। नियोजन इकाईवार मेघा सूची, कोटिवार एवं विषयवार रिक्ति की सूचना जिले के NIC के वेवसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

4. रिक्त पदों के अन्तर्गत उन पदों की गणना भी की जाएगी जो इस नियोजन के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा योगदान करने के उपरांत पद छोड कर किसी दूसरे नियोजन इकाई में योगदान कर लिया गया हो। ऐसा पद उसी कोटि का माना जाएगा जिस कोटि के अभ्यर्थी ने पद छोडा है।

5. प्रथम एवं द्वितीय समव्यवहार (कैम्प) के उपरांत पद रिक्त रहने पर नियोजन इकाई द्वारा वर्त्तमान अंतिम समव्यवहार में मेघा सूची अन्तर्गत कोटिवार न्यून मेघा क्रम के अवशेष सभी अभ्यर्थियों को बुलाकर निर्धारित तिथि को कैम्प के माध्यम से नियोजन की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।

6. नियोजन इकाई के सभी सदस्य सचिव यह सुनिश्चित करेगें की कैम्प स्थल पर पूरे नियोजन प्रक्रिया का विडियोग्राफी कराया जाय तथा अभ्यर्थियों का सीट प्लान कैम्प आयोजन स्थल के प्रवेश द्वार पर चिपकाया जाय। साथ ही मेघा सूची एवं रिक्ति भी परिसर मे जगह–जगह पर चिपका दिया जाय।

7. अभ्यर्थियों को सम्यक सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु कैम्प स्थल पर केन्द्रीयकृत सूचना केन्द्र (Enquirey Counter) का गठन किया जाना आवश्यक होगा।

8. कैम्प का आयोजन पूर्वाहन 10:30 बजे से अपराहन 04:30 बजे तक होगा। कैम्प में नियोजन के क्रम में अभ्यर्थी का STET प्रमाण पत्र मूल रूप में जमा कर लिया जाएगा।

9. कैम्प तिथि के नियोजन हेतु कालावधि पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थियों की उपस्थिति पंजी नियोजन इकाई द्वारा बंद कर दिया जाएगा।इसका अवलोकन जिला शिक्षा पदाधिकारी या उनके द्वारा प्रधिकृत पदाधिकारी द्वारा करते हुए अपने कार्यालय का मुहर भी लगा दिया जाएगा।

अनु०ः—प्रधान सचिव शिक्षा विभाग
बिहार पटना का पत्रांक 556
दिनांक 20.05.14 की प्रति।

विश्वासभाजन
ह०/-
जिला पदाधिकारी
पटना।

ज्ञापांक ..../पटना, दिनांक ..../

प्रतिलिपिः—वरीय पुलिस अधीक्षक पटना/अनुमण्डल पदाधिकारी पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
जिला पदाधिकारी
पटना।

ज्ञापांक 1554/पटना, दिनांक 22/5/14/

प्रतिलिपिः—अपर जिला दण्डाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिला स्तरीय कैम्प आयोजन स्थल दिनांक 26.05.14 एवं 28.05.14 को दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति किया जाए।

जिला पदाधिकारी
पटना।

by e-mail
23/05/14

पत्रांक : 11/वि 1–50/2013 568

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

D.P.O.
Cell
23.05.14

प्रेषक:

अमरजीत सिन्हा,
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी नगर आयुक्त, नगर निगम,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांक ...22... मई, 2014

विषय : **अधिसूचित नियुक्ति नियामवली 2014 (समय–समय पर यथासंशोधित) के आलोक में जिलावार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु कैम्प आयोजन का कार्यक्रम के संबंध में।**

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 556, दिनांक 20.05.14

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा प्रथम से चतुर्थ समव्यवहार के उपरान्त अवशेष रिक्ति के विरूद्ध अंतिम समव्यवहार (कैम्प) अंतर्गत नियोजन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। समीक्षोपरान्त प्रेषित कार्यक्रम में निम्नवत् संशोधन किया जाता है।

राज्य के राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में "बिहार जिला परिषद्–माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2014" एवं "बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2014" के आलोक में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक प्रशिक्षित शिक्षक एवं अप्रशिक्षित शिक्षक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं इन्हीं कोटि के महिला अभ्यर्थी) के नियोजन की प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है।

क्र.	जिलों का नाम	नगर निकाय (नगर निगम/नगर पंचायत एवं नगर परिषद) हेतु कैम्प आयोजन की तिथि	जिला परिषद अन्तर्गत नियोजन की तिथि	नगर निकाय (नगर निगम/नगर पंचायत एवं नगर परिषद) हेतु कैम्प आयोजन की तिथि	जिला परिषद अन्तर्गत नियोजन की तिथि
		उच्च माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	माध्यमिक	माध्यमिक
1	पटना, किशनगंज, बाँका, मधुबनी, सिवान, शिवहर, शेखपुरा, सुपौल, पश्चिम चम्पारण एवं रोहतास।	26.05.14	28.05.14	14.06.14	16.06.14

2	नालंदा, अररिया, बक्सर, कैमूर, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, मुंगेर, मधेपुरा एवं वैशाली।	30.05.14	02.06.14	18.06.14	20.06.14
3	गया, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, सहरसा, कटिहार, अरवल, समस्तीपुर, सारण एवं नवादा।	04.06.14	06.06.14	23.06.14	25.06.14
4	पूर्णियाँ, लखीसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, बेगूसराय एवं जमुई।	09.06.14	11.06.14	27.06.14	30.06.14

विभागीय पत्रांक 556, दिनांक 20.05.14 में निहित शेष निदेश यथावत् रहेगा।

इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/वि 1–50/2013 568 पटना, दिनांक 22 मई, 2014

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग।

D/Ajit Sir/Raj/Letter391